न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–18/अ–19(3)/2017–18/1385 बैतूल दिनांक 07/02/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 बैतूल के पत्र क्रमांकः– 4439/कार्य/2017, दिनांक 22–9–2017 द्वारा, प्रभूढ़ाना जलाशय, बालईमाल जलाशय कुंभी जलाशय एवं चोपना जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित हो रही कुल 29.98 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में 29.98 हेक्टेयर राजस्व भूमि अथवा 59.96 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि नियमानुसार वन विभाग को उपलब्ध उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 बैतूल द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार, वन विभाग को भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल/भैसदेही एवं शाहपुर से प्रतिवेदन आहूत किया गया। कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्रमांक–2 बैतूल कि पत्र क्रमांकः– 336/कार्य/2018 दिनांक 18–1–2018 द्वारा, अवगत कराया गया है कि, प्रभूढ़ाना जलाशय हेतु राजस्व अमले एवं वन विभाग के अमले के साथ संयुक्त निरीक्षण पश्चात् जलाशय के डूब क्षेत्र में कुल 7.002 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होना पाया गया है। अतः प्रभूढ़ाना जलाशय हेतु 7.002 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में 7.002 हेक्टेयर राजस्व भूमि अथवा 14.004 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि, वन विभाग को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाए।

2– उक्त संबंध में नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) शाहपुर द्वारा जॉच उपरांत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– आवेदित प्रयोजन हेतु मौजा गोपालपुर तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 1/1 रकबा 267.442 हेक्टेयर मद बड़े झाड़ का जंगल में से 14.004 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया एवं उक्त चयनित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– राजस्व अभिलेख के अनुसार मौजा गोपालपुर तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 1/1 रकबा 267.442 हेक्टेयर भूमि बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है।

(3)– ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी द्वारा, उक्त चयननित भूमि वन विभाग को हस्तांरित किए जाने के संबंध में ग्रामीणजनो की सहमति प्राप्त करने के लिए दिनांक 5–2–2017 को विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। परन्तु ग्राम सभा में मात्र पॉच व्यक्ति उपस्थित हुए, उनके द्वारा भूमि हस्तांतरण के संबंध में आपत्ति व्यक्त की गई। शेष ग्रामवासी आपत्ति होने के कारण ग्रामसभा में उपस्थित नहीं हुए। सचिव ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ से हस्ताक्षरयुक्त पत्र दिनांक 6–2–2018 द्वारा तदाशय की सूचना देते हुए अवगत कराया गया है कि, ग्रामवासियो द्वारा खसरा नंबर 1/1 की भूमि को पुनर्वास की भूमि बताकर, वन विभाग को हस्तांतरण करने में आपत्ति व्यक्त की गई तथा हस्ताक्षर नहीं किए गए है।

(4)– नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त) द्वारा उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि, ग्रामवासी उक्त प्रस्तावित भूमि को पुनर्वास की भूमि समझते है, जबकि यह भूमि पुनर्वास की भूमि ना होकर बड़े झाड़ का जंगल मद की भूमि है। ग्रामवासियो की आपत्ति निराधार है, अतरु मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 85 के तहत, उक्त आपत्ति प्रस्ताव अमान्य किया जाकर, चयनित भूमि वनविभाग को हस्तांतरित किया जाना उचित होगा। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा, सचिव ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 6–2–2018 के आधार पर यह पाया गया कि, ग्रामसभा द्वारा बिना गणपूर्ति के विधि विरुद्ध तरीके से प्रस्ताव पारित किया गया है, अतः अनु0 अधि0 (रा0) शाहपुर द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 85 के तहत ग्राम सभा के उक्त प्रस्ताव को अमान्य

किया जाकर, मौजा गोपालपुर स्थित खसरा नंबर 1/1 में से 14.004 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गई है।

3— म0प्र0शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात—नजूल/99 दिनांक 27—1—2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक —7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया हैं। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक—क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8—11—2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः— 2489 दिनांक 25—2—2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का एवं शासकीय विभागो को भूमि अंतरण के प्रकरणो का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, ग्राम गोपालपुर तहसील घोड़ाडोंगरी स्थित खसरा नंबर 1/1 रकबा 267.442 हेक्टेयर मद वन में से 14.004 हेक्टेयर भूमि भूमि जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है, वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मध्यप्रदेश शासन वन विभाग (वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल) को निम्नानुसार शर्तो के अधीन के अधीन हस्तांतरित की जाती हैः—

(1)— हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)— भूमि पर प्रस्तावित वृक्षारोपण का कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:— 18/ अ—19(3)/2017—18/1385 बैतूल दिनांक 07/02/2018

प्रतिलिपिः—

1— वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमण्डल की ओर सूचनार्थ ।

2— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर की ओर सूचनार्थ।

3— नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी (चोपना वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

4— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

8/2/18